एस.सी.के.

सुरिंदर सिंह जे. के समक्ष

शमशेर सिंह, अपीलार्थी।

बनाम

राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़), -प्रतिवादी

1976 की आपराधिक अपील संख्या 490

31 जुलाई 1979.

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908 का VI) धारा 7 - किसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की सहमति - ऐसी सहमति देने से पहले उद्देश्य मूल्यांकन - क्या अधिनियम के तहत सहमति आवश्यक है - क्या रोकथाम के तहत 'मंजूरी' के बराबर किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार अधिनियम.

अधिकृत किया गया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति का मुकदमा सरकार की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने उपरोक्त प्रावधान करते समय एक उद्देश्य से मंजूरी के स्थान पर 'सहमति' शब्द का प्रयोग किया था और वह उद्देश्य अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सहमति देने से पहले मामले की विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक सराहना के अलावा कुछ नहीं है। मामले के तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना अधिक उचित है जहां कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तरह मंजूरी के मुद्दे को मानता है। 'सहमति' शब्द की तुलना मंजूरी शब्द से नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में इस्तेमाल किया गया है, जहां ऐसी मंजूरी जारी करना कानून के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट

करती है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा पारित कोई भी आदेश केवल अभियोजन की मंजूरी में अनियमितता के आधार पर अपील आदि में उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में, वास्तव में इससे न्याय की विफलता हुई है। (पैरा 4).

श्री एच. एल. रणदेव, अतिरिक्त के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील। राष्ट्रीय सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने दिनांक 31 मार्च, 1976 को अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हरिंदर सिंह। प्रतिवादी की ओर से वकील एम. एम. पुंछी।

निर्णय

सुरिंदर सिंह, जे.

(1) अपीलकर्ता शमशेर सिंह, पुत्र रूप सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत दोषी ठहराया गया था, और इन दोनों मामलों में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। वाक्य एक साथ चलने के लिए. उन्होंने अपील की है.

(2) आरोप है कि 20 अक्टूबर 1974 को दोपहर करीब 1.30 बजे। सहायक उप-निरीक्षक साधु सिंह (पी.डब्लू. 7) जो उस समय पुलिस स्टेशन ईस्ट, चंडीगढ़ में तैनात थे, सेक्टर 47 चंडीगढ़ में मौजूद थे, उनके साथ पुलिस पोज़ में रण सिंह (पी.डब्लू. 2) और राम प्रकाश (पी.डब्लू. 3) भी थे। उस समय उसे. अपीलकर्ता को पंजाब सीमा की ओर से सेक्टर 47 की ओर आते हुए पाया गया और पुलिस पार्टी को देखकर उसने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की। इससे उत्तेजना जाग उठी। पुलिस दल अपीलकर्ता की ओर गया जो भागने लगा। हालाँकि, पार्टी ने उनका पीछा किया और एक कच्चे मैदान में उन्हें रोकने में सफल रहे। उसे काबू कर लिया गया और उसकी तलाशी के परिणामस्वरूप, उसके पास झोला एक्ज़िबिट पी1 पाया गया, जिसमें शामिल था-

चार हथगोले और चार इग्नाइटर-सेट अलग-अलग लपेटे गए एक चमकदार पेपर बैग में. अपीलकर्ता इन विस्फोटकों को रखने का कोई प्राधिकारी प्रस्तुत नहीं कर सका। सामान को कब्जे में ले लिया गया और

अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बरामद वस्तुओं को जांच के लिए विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी सर्कल, आगरा के कार्यालय में भेजा गया था और उप नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार, सामान मिल्स प्रकार के चार हैंड-ग्रेनेड और चार इग्नाइटर-सेट पाए गए। यानी, हथगोले में विस्फोट शुरू करने के लिए उपकरण। यह राय दी गई कि सभी चार हैंड-ग्रेनेड इग्नाइटर-सेट के साथ शुरू होने के बाद विस्फोट करने और जीवन को खतरे में डालने में सक्षम थे। एक्सपर्ट की रिपोर्ट एक्ज़िबिट पीजी है. मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ प्रशासन ने अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपनी सहमति दी और उनके मुकदमे के बाद, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपने लंबे संबोधन के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में मुख्य आयुक्त द्वारा जारी की गई मंजूरी विधिवत साबित नहीं हुई है। तर्क यह है कि अधिसूचना प्रदर्शनी पीसी चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव के हस्ताक्षर के तहत थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि मुख्य आयुक्त ने अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सहमति दी थी। इस दस्तावेज़ पर आपत्ति यह है कि मुख्य आयुक्त द्वारा दी गई मूल मंजूरी प्रस्तुत नहीं की गई है। तर्क की सुदृढ़ता की सराहना करने के लिए, यह आदेश दिया गया कि मुख्य आयुक्त द्वारा दी गई मंजूरी वाला मूल रिकॉर्ड उनके कार्यालय से मांगा जाए। जब रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, तो अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य आयुक्त द्वारा दी गई मूल मंजूरी को औपचारिक रूप से साबित किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति उस गवाह की एजेंसी के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए जो फाइल लेकर आया था। . प्रार्थना की अनुमति दी गई और मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ के सहायक श्री सोहिंदर सिंह का बयान दर्ज किया गया। इस बयान में, गवाह ने मुख्य आयुक्त द्वारा जारी मंजूरी के सटीक शब्दों को दोहराया। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा गवाह से जिरह करने की अनुमति दी गई।

(4) उपरोक्त अतिरिक्त सामग्री के मद्देनजर जो अपील के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई थी, तब विद्वान वकील ने विचार किया दो और अंक बढ़ाकर । उनका पहला तर्क यही है मुख्य आयुक्त की मंजूरी ने मामले के तथ्यों पर दिमाग लगाने का संकेत नहीं दिया, न ही मुख्य आयुक्त के आदेश में तथ्यों का उल्लेख किया गया था। विद्वान वकील मोहम्मद की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए। इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1](1), और मेजर सोम नाथ बनाम भारत संघ और अन्य [2](2), ने आग्रह किया

[1] A.I.R. 1979 S.C. 677.
[2] A.I.R. 1971 S.C. 1910.

कि मंजूरी शुरू से ही अमान्य थी और इसलिए अपीलकर्ता का पूरा मुकदमा खराब हो गया था। हालाँकि, यह तर्क भ्रामक है। ऊपर उल्लिखित दोनों मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराध से संबंधित हैं, जहां कानून के तहत ऐसी मंजूरी जारी करना अनिवार्य है। जहां तक वर्तमान मामले में अपराध का सवाल है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति का मुकदमा सरकार की सहमति (जोर मेरा) के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। . इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के कार्यों का प्रयोग कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान करते समय विधायिका ने एक उद्देश्य से मंजूरी के बजाय "सहमति" शब्द का उपयोग किया था और वह उद्देश्य अभियोजन के लिए आवश्यक सहमति देने से पहले मामले की विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक सराहना के अलावा कुछ नहीं है। अभियुक्त। मामले के तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना अधिक उचित है जहां कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तरह मंजूरी के मुद्दे को मानता है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश, केवल मंजूरी में अनियमितता के आधार पर, अपील आदि में उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अभियोजन, जब तक कि न्यायालय की राय में वास्तव में न्याय की विफलता न हुई हो। अपीलकर्ता के विद्वान वकील न्याय की विफलता की प्रकृति को इंगित करने में असमर्थ हैं जो वर्तमान मामले में हो सकता है, भले ही मुख्य आयुक्त की उपरोक्त सहमति अनियमित पाई गई हो। यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि जिस समय आवश्यक दस्तावेज़, यानी, एक्ज़िबिट पीसी को परीक्षण में पेश किया गया और साबित किया गया, अपीलकर्ता की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और ऐसा नहीं किया गया है, ऐसी आपत्ति हो सकती है - अब अपीलीय चरण में इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) अपील में उठाई गई एक और आधी-अधूरी आपत्ति यह है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि विस्फोटक पदार्थ ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के कब्जे में पाया गया था। - यह उचित संदेह पैदा करता है कि उसके पास वैध वस्तु नहीं है। विवाद को केवल सुना जाना चाहिए और उसका निराकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में बरामद किए गए चार हथगोले संभवतः किसी वैध वस्तु के लिए नहीं हो सकते, जब तक कि अपीलकर्ता युद्ध में किसी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहा हो।

(6) मामले की योग्यता के संबंध में किसी अन्य तर्क को संबोधित नहीं किया गया है, न ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। मुकदमे में पेश किए गए कई गवाहों की गवाही, अपीलकर्ता के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है। अपील खारिज की जाती है। उसकी दोषसिद्धि और ट्रायल कोर्ट द्वारा

उस पर लगाई गई सजा बरकरार रखी गई है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसे उसकी सजा का शेष भाग भुगतने के लिए हिरासत में लिया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा